<u>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी (म0प्र0)</u>

<u>वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना</u>

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, डिण्डौरी में वाहन स्टैण्ड का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति नवीन जिला न्यायालय भवन डिण्डौरी में वाहन स्टैण्ड का संचालन करना चाहता है, उनसे निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त निविदायें **दिनांक 04.08.2025 से दिनांक 19.08.2025 को शाम 5.00 बजे तक** भरकर कार्यालय में जमा किया जाना हैं, प्राप्त निविदायें **दिनांक 23.08. 2025 को निविदाकर्ता/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में शायं 5.00 बजे** कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति एवं शर्तें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट **www.mphc.gov.in/tenders** एवं जिला न्यायालय डिण्डौरी की वेबसाईट **www.districts.ecourts.gov.in/dindori** पर भी उपलब्ध है, जहां से उपरोक्त निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाकर्ता के द्वारा डाउनलोड निविदा फार्म भरकर सील बंद लिफाफे में जिला न्यायाधीश डिण्डौरी को देय 5000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला–डिण्डौरी

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)</u>

<u>–:: वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु निविदा फार्म::–</u>

प्रथम पक्ष :– निविदाकर्ता का नाम...

पिता का नाम ....

पता ....

....

मोबाईल नं0 ....

ई–मेल आई.डी ....

प्रस्तावित अनुबंध राशि ....

अनुज्ञप्तिदाता :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी।

वाहन स्टैण्ड संचालन का स्थान:– नवीन जिला न्यायालय भवन परिसर डिण्डौरी

<u>निविदा के नियम एवं शर्तेः–</u>

01. निविदा को बंद लिफाफे में आमंत्रित किया जाएगा जिसमें तकनीकी वाणिज्यिक तथा निविदा की कीमत का उल्लेख होना चाहिए, निविदा का उल्लेख एक बंद लिफाफे में नवीन न्यायालय भवन डिण्डौरी में दो पहिया/चार पहिया वाहन स्टैण्ड संचालन के लिए होगी।

02. दो पहिया/चार पहिया वाहनों के स्टैण्ड संचालन के लिये नीलामी/टेंडर में भाग लेने के लिये न्यूनतम राशि रूपये 5000/– का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी के नाम से जमा कराना होगा। अंतिम बोलीकर्ता को सुरक्षा निधि के रूप में राशि 15000/– रूपये जमा कराना होगा। सुरक्षा निधि की राशि जिस व्यक्ति/संस्था के द्वारा जमा कराई जाती है, वह राशि टेंडर समाप्ति के पश्चात् संबंधित व्यक्ति/संस्था को बिना ब्याज के लौटाई जावेगी।

03. ठेका संचालन करने वाला व्यक्ति या उसके कर्मचारी/अभिकर्ता के किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में उस व्यक्ति का ठेका समाप्त कर दिया जावेगा।

04. उपरोक्त निविदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के नाम से प्रस्तावित की जाएगी और निविदा कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश डिण्डौरी में दिनांक **23.08.2025 को सायं 5:00** बजे तक प्रस्तुत की जाएगी।

05. न्यायालय परिसर में वाहनों की सुरक्षा के लिए धूप एवं वर्षा के बचाव के लिये संबंधित व्यक्ति को शेड अपने व्यय पर बनाना होगा।

06. वाहन स्टैण्ड का संचालन कार्यालयीन समय 10.00 बजे से शायं 06.00 बजे तक रहेगा।

07. वाहन स्टैण्ड (दो पहिया/चार पहिया) का अनुबंध 11 माह के लिये किया जावेगा, प्रत्येक वर्ष नवीन अनुबंध के समय पुराने किराये की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जावेगी अथवा पुनः खुली नीलामी भी की जा सकती है। इसका क्षेत्राधिकार मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही होगा।

08. वाहन स्टैण्ड संचालक को प्रत्येक माह का किराया एडवांस में जमा कराना होगा।

09. स्टैण्ड संचालक के द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर भी ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।

10. वाहन स्टैण्ड की साफ–सफाई, रख–रखाव एवं वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टैण्ड संचालक की होगी।

11. न्यायालयीन कर्मचारियों व अभिभाषकों के वाहनों हेतु स्टैण्ड में पृथक से स्थान आरक्षित कर उनसे रियायती दर से मासिक शुल्क वसूला जावेगा।

12. स्टैण्ड संचालन प्रारंभ होने के उपरांत, न्यायालय परिसर में आरक्षित स्थानों, के अतिरिक्त अन्य कहीं भी कोई वाहन खड़ा न करें। इसकी भी जिम्मेदारी स्टैण्ड संचालक की होगी।

13. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही अधिकार होगा कि किसी भी समय, एक माह का नोटिस देकर वाहन स्टैण्ड का अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

14. स्टैण्ड का किराया दर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमोदित कराना होगा।

15. न्यायालयीन कर्मचारियों एवं अभिभाषकों के वाहनों हेतु स्टैण्ड में पृथक से स्थान उपलब्ध कर उनसे रियायती दर से मासिक शुल्क वसूला जावेगा।

16. साइकिल/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :–

01–साइकिल	**–**	**02 रू. प्रतिदिन**
02–मोटरसाइकिल	**–**	**10 रू. प्रतिदिन**
03–चार पहिया वाहन	**–**	**20/– रू. प्रतिदिन**

उक्त वसूल योग्य राशि के संबंध में मासिक आधार पर **MST** अर्थात पास बनवाये जाने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

17. वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष के लिए **15000/–(पन्द्रह हजार रूपये)** किराया निर्धारित होगा, जो समान किश्तों में प्रतिमाह कार्यालय में जमा करना होगा।

18. समस्त शासकीय वाहन एवं न्यायिक अधिकारियों के वाहन उक्त किराये से मुक्त रहेंगे।

19. निविदा दिनांक 23.08.2025 को शायं 05.00 बजे निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के कार्यालय में गठित प्रशासकीय समिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारण से उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

" मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है।"

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम ....

पिता का नाम...

पताः– ....

फोन नंबर/मोबाइल नंबर...............................

ई–मेल आईडी ....

//मध्यस्थता//

1. संविदा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में सभी प्रश्न व विवाद, कार्य की गुणवत्ता, प्रयोग किये जाने वाली सामग्री, संविदा से संबंधित अथवा उत्पन्न हो रहे कोई अन्य प्रश्न, अधिकार, दावा, निर्देश, आदेश या उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में या अन्यथा कार्य से संबंधित, या उस कार्य का सम्पादन अथवा उसमें विफल होना, जो कि कार्य की प्रगति के दौरान या कार्य समाप्ति या उसे त्याग देने पश्चात् उत्पन्न हुये हों, एकमात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किये जायेगें, जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

02. मध्यस्थ के द्वारा किसी विवाद या मामले के संबंध में उसके कर्त्तव्यों के अनुक्रम में दिये गये सुझाव या राय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं ली जावेगी, यदि संबंधित विवाद जो कि संविदा से संबंधित है।

03. वह मध्यस्थ जिसे प्रारंभ में कोई मामला रिफर किया गया था यदि स्थानांतरित हो जाता है या पद रिक्त हो जाता है, या किसी अन्य कारण से वह काम नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिदाता जिसके द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, किसी अन्य व्यक्ति को संविदा के शर्तो के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति रिफर किये गये मामले में उसी प्रक्रम से कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगें, जिस प्रक्रम पर रिफर किया गया मामला भूतपूर्व मध्यस्थ के द्वारा छोड़ा गया था।

4. यह भी संविदा की एक शर्त होगी कि, पूर्वोक्त अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, यदि अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया जाना संभव नहीं है, तब वह मामला मध्यस्थ को रिफर नहीं किया जा सकेगा।

अनुज्ञप्ति धारक का नाम ....

पता ....

फोन.नम्बर ....

ई–मेल ....

संविदा

(ई–स्टाम्प कोड......................)

यह संविदा दिनांक ....को जिला न्यायाधीश डिण्डौरी जिन्हें एतस्मिन पश्चात् जिला न्यायाधीश के नाम से तथा जब तक अन्यथा प्रतिकूल उपबंधित न कर दिया जाये, तब तक उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी, जो कि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के हैसियत से कार्य करते है जिन्हे एतस्मिन पश्चात् **''अनुज्ञप्तिदाता''** के नाम से संबोधित किया जावेगा तथा जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जावेगें **जो प्रथम पक्ष के रूप में होंगे**।

और

....

....

(अभिकरण/अनुज्ञप्ति धारक का नाम तथा पता एवं उसके प्रतिनिधि का नाम तथा पद) जिसे एतस्मिन पश्चात् **सर्विस प्रोवाईडर** के नाम से संबोधित किया जावेगा, जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जायेगें, **जो द्वितीय पक्ष के रूप में होंगे।**

जहां अनुज्ञप्तिदाता का आशय यह है कि नवीन न्यायालय भवन डिण्डौरी के परिसर में वाहन स्टैण्ड संचालित किया जावें, जहां सर्विस प्रोवाईडर ने स्वेच्छा से अपनी सहमति इस हेतु संविदा के उपबंधों के अनुरूप दी है और जहां अनुज्ञप्तिदाता ने मूल्य व दर संविदा के शर्तो के अनुरूप तय किये हैं, के मध्य समझी जावेगी।

निम्नलिखित दस्तावेज इस संविदा का भाग माने, पढ़े व समझे जावेगें।

a. निविदा प्रारूप (तकनीकी व वित्तीय) और कीमत सूची जो कि अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा जमा की जावेगी।

b. सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज।

c. स्पष्टीकरण जो कि इस संबंध में जारी किये गये है।

d. सर्विस प्रोवाइडर के मध्यस्थ की अधिसूचना ।

e. सहमति पत्र।

f. सम्पूर्ण पत्राचार जो इस संबंध में किये गये हों।

अब यह संविदा :–

1. संविदा में सम्मिलित नियम व शर्ते संविदा का भाग माने पढ़े एवं समझे जावेंगे।

2. सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जिला न्यायालय को किये गये भुगतान के एवज में सर्विस प्रोवाइडर जिला न्यायालय डिण्डौरी को ''वाहन स्टैण्ड संचालन'' की सेवाएं प्रदान करने और संविदा के नियम एवं शर्तो के अनुरूप आवश्यक शुल्क और रकम का भुगतान करने के लिए सहमत है।

3. यह कि उस परिस्थिति में जहां कोई विवाद उत्पन्न होता है तब ऐसा विवाद संविदा के नियम व शर्तो के अनुरूप निराकृत किया जावेगा।

4. किसी भी दशा में किराया हर माह की 7 तारीख तक जमा किया जावेगा।

5. यह संविदा दिनांक .... से ....तक प्रवृत्त रहेगी, जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकार उनकी सामान्य सील चस्पा करेगें।

अनुज्ञप्ति धारक/प्रतिनिधि का नाम व पता
....

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में :–

साक्षी	साक्षी
1. नाम	1. नाम ....
पता	पता ....
2. नाम	2. नाम ....
पता	पता ....